न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 अपील 01/2023 दायर दिनांक: 03.01.2023

उनवान

1. उदेसिंह पिता बिशनसिंह जाति राजपूत नि.पड़ियारखेड़ी तहसील पिड़ावा

--अपीलांट

बनाम

1. दिलराजसिंह पि.प्यारसिंह जाति राजपूत नि.पड़ियारखेड़ी तहसील पिड़ावा
2. नारायणसिंह पि. प्यारसिंह जाति राजपूत नि.पड़ियारखेड़ी तहसील पिड़ावा
3. बजरंगसिंह पि. प्यारसिंह जाति राजपूत नि.पड़ियारखेड़ी तहसील पिड़ावा
4. गोपालकुंवर पुत्री प्यारसिंह जाति राजपूत नि.पड़ियारखेड़ी तहसील पिड़ावा
5. जसवंतकुंवर पुत्री प्यारसिंह जाति राजपूत नि.पड़ियारखेड़ी तहसील पिड़ावा
6. रमेशकुवंर पुत्री प्यारसिंह जाति राजपूत नि.पड़ियारखेड़ी तहसील पिड़ावा
7. शारदाबाई पत्नी प्यारसिंह जाति राजपूत नि.पड़ियारखेड़ी तहसील पिड़ावा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

– रेस्पोडेन्टगण

अपील इन्तकाल सं. 342 दिनांक 06.08.2009 ग्राम पंचायत कोटडी अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :-

वकील अपीलांट :- श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील रेस्पोडेन्टस :- श्री पूरीलाल राठौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड

आदेश दिनांक : 27.05.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट निम्न कारणो से ग्राम पंचायत कोटड़ी के द्वारा ग्राम पड़ियारखेड़ी के नामांतरण संख्या 342 दिनांक 06.08.2009 से असंतुष्ट होकर अपील पेश करता है– यह कि ग्राम पड़ियारखेड़ी हल्का पटवारी कोटड़ी तहसील पिड़ावा [illegible] खाता संख्या 93 की कुल किता 7 कुल रकबा 7.5878 हेक्टेयर [illegible] जिसमें 1/2 हिस्से में अपीलान्ट का नाम दर्ज है तथा शेष 1/2 हिस्से में रेस्पोण्डेन्ट नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

1 लगायत 7 का 1/14–1/14 हिस्से से नाम दर्ज है रेस्पोण्डेन्टगण के हिस्से के विरुद्ध यह अपील नामांतरण संख्या 342 दिनांक 06.08.2009 पेश है। यह कि रेस्पोण्डेटगण 1 लगायत 6 के पिता एवं 7 के पति प्यारसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत निवासी पड़ियारखेड़ी ने अपने पक्ष में दिनांक 22.01.2005 को अपीलान्ट की माँ रतनबाई बेवा बिशन सिंह के 1/2 हिस्से की उपपंजीयक कार्यालय सुनेल में पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 4 क्रम संख्या 1 पर तस्दीक करवायी थी। जो फर्जी वसीयत थी। इस वसीयत से प्यारसिंह ने अपीलान्ट की माँ की मृत्यु दिनांक 02.02.2009 को होने के पश्चात सरपंच ग्राम पंचायत कोटड़ी से दिनांक 06.08.2009 को नामांतरण संख्या 342 तस्दीक करवा लिया था। इसकी जानकारी होने के बाद अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिड़ावा में वसीयत निरस्त करवाने हेतु वाद संख्या 22/2011 दिनांक 02.07.2011 को बउनवान उदेसिंह पुत्र बिशनसिंह बनाम प्यारसिंह पुत्र माधोसिंह के उनवान से पेश किया था। जिसका माननीय सिविल न्यायाधीश पिड़ावा के द्वारा दिनांक 17.11.2022 को निर्णय एवं डिक्री अपीलन्ट के पक्ष में पारित करते हुए उपपंजीयक कार्यालय सुनेल में पुस्तक संख्या 3 जिल्द सख्या 4 क्रम संख्या 1 पर तस्दीक करवायी गई वसीयत को निरस्त कर दिया गया है इसलिए माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिड़ावा द्वारा निरस्त की गई वसीयत के आधार पर दिनांक 06.08.2009 को सरपंच ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा तस्दीक किया गया नामांतरण संख्या 342 निरस्त होने योग्य है क्योकि दस्तावेज वसीयत नामा दिनांक 22.01.2005 अब अस्तित्व में नहीं रहा है.। यह कि दिनांक 22.01.2005 को उपपंजीयक कार्यालय सुनेल में पुस्तक संख्या 3 जिल्द सख्या 4 क्रम संख्या 1 पर तस्दीक हुई वसीयत दिनांक 17.11.2022 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिड़ावा के द्वारा निरस्त की जा चुकी है। तहसील का परिसिमन होने के पश्चात ग्राम पड़ियारखेड़ी को उपपंजीयक सुनेल से उपपंजीयक कार्यालय पिड़ावा एवं तहसीलदार पिड़ावा को समस्त राजस्व रिकार्ड अन्तरित कर दिये गये है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य होकर तहसीलदार पिड़ावा का ग्राम पड़ियारखेड़ी पटवार हल्का कोटड़ी के नामांतरण संख्या 342 दिनांक 06.08.2009 को ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा पारित आदेश को निरस्त किये जाने का आदेश दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरण संख्या 342 को निरस्त किया जाकर अपीलन्ट की माँ मृतक रतनबाई बैवा बिशनसिंह के 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट का नाम दर्ज का आदेश दिया जाना भी न्यायहित में आवश्यक है। यह कि नामांतरण संख्या 342 प्यारसिंह पिता माधोसिंह के नाम दर्ज हुआ था लेकिन उसकी मृत्यु हो गयी है और वर्तमान में रैस्पोण्डेंटगण 1 लगायत 7 खातेदार है इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया गया है। यह कि अपील अपीलान्ट अवधि मध्य माननीय न्यायालय में पेश है क्योकि दिनांक 17.11.2022 को नामांतरण संख्या 342 के दस्तावेज वसीयत दिनांक 22.01.2005 को माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिड़ावा द्वारा निरस्त किया गया है इसलिए अपील की अवधि दिनांक 17.11.2022 के पश्चात शुरु होती है। यह कि अपील अपीलान्ट माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से पेश है। यह कि अपील अपीलान्ट उचित कोर्ट फीस पर न्यायालय में पेश है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत कोटड़ी के द्वारा तस्दीक ग्राम पड़ियारखेड़ी के नामांतरण संख्या 342 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार पिड़ावा रैस्पोण्डेंट नं. 7 को आदेश दिया जावे कि ग्राम पड़ियारखेड़ी की खाता संख्याः 93 की कुल किता 7 कुल रकबा 7.5878 हैक्टेयर आराजी पर मृतक रतनबाई बैवा बिशनसिंह के 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट के नाम नामांतरण दर्ज किये जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडैटस की ओर से एडवोकेट श्री पूरीलाल राठौर उपस्थित हुए जिन्होने जवाब पेश नहीं कर सीधी बहस का निवेदन किया।

3. अपीलांटस की ओर से अपील के समर्थन में ग्राम परिहारखेडी नामान्तरण संख्या 342 दिनांक 06.08.2009 की सत्यप्रति, वसीयत दिनांक 22.01.2005 की फोटोप्रति, ग्राम परिहारखेडी का खाता सं. 93 जमाबंदी सं. 2074–77 की नकल एवं सिविल न्यायालय पिड़ावा [illegible] व डिक्री दिनांक 17.11.2022 उनवान उदेसिंह बनाम प्यारसिंह [illegible] पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

ग्राम पड़ियारखेडी के नामांतरण संख्या 342 दिनांक

Scanned with OKEN Scanner

4. रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रकरण संख्या सीए 24/2022 प्यारसिंह बनाम उदयसिंह की जिला अपर न्यायाधीश झालावाड की आदेशिका दिनांक 07.04.2025, अपील संख्या 24/2022 उनवान प्यारसिंह वगै. बनाम उदेसिंह की सत्यप्रति, एवं अपील की सुनवाई का सूचना पत्र की असल प्रति प्रस्तुत की गयी।

5. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस अपील सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पडियारखेडी पटवार हल्का कोटडी तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी हाल खाता सं. 93 कुल किता 7 रकबा 7.5878 है. भूमि रतनबाई बेवा बिशनसिंह हि. 1/2 व उदयसिंह पुत्र बिशनसिंह हि. 1/2 दर्ज रिकर्ड थी। रतनबाई अपना हिस्सा 1/2 जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22.01.2005 प्यारसिंह पि. माधोसिंह के पक्ष में वसीयत कर दी गई थी। वसीयतकर्ता रतनबाई के दिनांक 02.02.2009 को फोत होने के बाद वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा प्यारसिंह पि. माधोसिंह के पक्ष में नामा.सं. 342 दिनांक 06.08.2009 निर्णित किया गया था और हिस्सा 1/2 पर प्यारसिंह का नाम दर्ज हुआ। प्यारसिंह के फोत होने के बाद फोती नामान्तरण सं. 581 दिनांक 20.10.2020 से वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट सं के खाते दर्ज हुई है। यह नामान्तरण भी प्रारम्भ से शून्य है। अपीलांट को जैसे ही उक्त नामान्तरण की जानकारी हुई तो अपीलांट द्वारा माननीय सिविल न्यायालय पिडावा के समक्ष दीवानी वाद सं. 22/2011 उदयसिंह बनाम प्यारसिंह दायर किया गया जिसमें सिविल न्यायालय में अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2022 से रतनबाई बेवा बिशनसिंह द्वारा प्यारसिंह पि. माधोसिंह के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 22.01.2005 को निरस्त कर दिया गया और वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने से उक्त वसीयत के आधार पर निर्णित किये गये नामान्तरण संख्या 342 स्वतः ही प्रभावशून्य हो गया है। वसीयतनामा के सिविल न्यायालय से खारिज होने के आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होते ही अपीलान्ट द्वारा [illegible] न्यायालय में अपील दायर कर दी गई। आगे तर्क दिया कि सिविल न्यायालय पिड़ावा के उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई स्थगन आदेश वर्तमान में नहीं है। अतः जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

वसीयतनामा दिनांक 22.01.2005 के आधार पर वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 के पिता/पति प्यारसिंह के खाते दर्ज हुई थी उसे सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा खारीज किया जा चुका है और इसलिए ऐसे वसीयतनामा के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज नामा.सं. 342 भी अवैध व प्रभावशून्य होने से खारीज किया जाकर वसीयतकर्ता मृतक रतनवाई के हिस्से पर फौती नामान्तरण से वारिस–अपीलांट का नाम दर्ज किया जाने के आदेश फरमाया जावे।

6. अभिभाषक रेस्पोडेटस द्वारा उक्त वहस का पूरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि माननीय सिविल न्यायालय पिडावा द्वारा दीवानी प्रकरण सं. 22/2011 जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2022 की अपील सं. 24/2022 प्यारसिंह जरिये विधिक प्रतिनिधी बनाम उदेसिंह माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश झालावाड के समक्ष पेश की जा चुकी है जिसमें रेस्पोडेन्ट उदयसिह द्वारा वहस अपील हेतु बार बार समय लिया जा रहा है। प्रकरण में पिछली तारीख पेशी दिनांक 07.04.2025 थी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश झालावाड. द्वारा प्रकरण में वहस हेतु दिनांक 07.07.2025 की तारीख नियत की है। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा सिविल न्यायालय पिडावा के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2022 को त्रुटीपूर्ण बताते हुए माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश झालावाड के निर्णय होने तक हस्तगत प्रकरण को लंबित रखने का एवं कोई निर्णय नही करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस अपील के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांटस द्वारा पेश नामान्तरण संख्या 342 दिनांक 06.08.2009 के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी तत्कालीन खाता संख्या 111 किता 7 रकबा 30 बीधा आराजी रतनबाई बेवा बिशनसिंह व उदयसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति राजपुत हिस्सा बराबर के खाते दर्ज रिकार्ड थी। अपीलान्ट द्वारा पेश रजिस्ट्रर्ड वसीयतनामा दिनांक 22.01.2005 पुस्तक नम्बर 3 जिल्द संख्या 4 पृष्ठ संख्या 7 एवं नामान्तरण पंजिका के कालॅम संख्या 14 व 16 के अवलोकन से स्पष्ट है [illegible] आदेश की पालना में वसीयतनामा दिनांक 22.01.2005 के [illegible] रतनबाई बेवा बिशनसिंह हिस्सा 1/3 के स्थान पर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

ग्राम पड़ियारखेडी के नामांतरण संख्या

Scanned with OKEN Scanner

पिता माधुसिंह राजपुत का नाम दर्ज करने का नामान्तरण संख्या 342 हल्का पटवारी द्वारा खोला गया जिसे भूअभिलेख द्वारा प्रमाणित कर ग्राम पंचायत कोटडी के समक्ष पेश किया गया। ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा उक्त वसीयत नामान्तरण को प्यारसिंह पिता माधोसिंह के पक्ष में निर्णित किया गया। अपीलान्ट द्वारा पेश सिविल न्यायालय पिडावा के दीवानी प्रकरण संख्या 22/2012 उदेसिंह बनाम प्यारसिंह में दिये गये निर्णिय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2022 के अवलोकन से जाहिर है कि जिस रजिस्ट्रर्ड वसीयतनामां दिनांक 22.01.2005 के आधार पर ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा प्यारसिंह पिता मांधोसिंह के पक्ष में नामान्तरण संख्या 342 दिनांक 06.08.2009 निर्णित किया गया था, वह वसीयतनामा सिविल न्यायालय पिडावा द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अतः नामान्तरण संख्या 342 दिनांक 06.08.2009 वर्तमान में विधिक रुप से प्रभावशून्य होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेण्ट द्वारा सिविल न्यायालय पिडावा के उक्त निर्णय व डिक्रीपेश

8. उभयपक्ष इस तथ्य पर सहमत है कि रेस्पोडेण्टस द्वारा सिविल न्यायालय पिडावा के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2022 के विरुद्व न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश झालावाड़ में अपील संख्या 24/2022 नारायणसिंह बनााम उदेसिंह पेश कर रखी है जिसमें न्यायालय द्वारा कोई भी स्थगन आदेश जारी नही किया गया है। रेस्पोडेण्टस द्वारा पेश अपील संख्या 24/2022 नारायणसिह बनाम उदेसिंह की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त अपील में न्यायालय अपर जिलाधिश झालावाड़ में विगत तारिखपेशी दिनांक 07.04.2025 को निहित थी। प्रकरण वास्ते बहस अपील दिनांक 07.07.2025 को नियत है। **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश झालावाड़ के निर्णय से वसियतनामा दिनांक 22.01.2005 की कानूनी वैधता प्रभावित भी हो सकती है, परिणामतः उक्त वसीयतनामा के आधार पर निर्णित नामान्तरण संख्या 342 की कानूनी वैधता भी प्रभावित हो सकती है।** न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश झालावाड़ से उक्त अपील संख्या 24/2022 के निर्णय के इन्तजार में हस्तगत प्रकरण [illegible]3 दिनांक 27.02.2025 से इस न्यायालय में वास्ते आदेश नियत चल रहा है। अतः निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

सुनाने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, हस्तगत प्रकरण में निर्णय लिखा जाकर सुनाना आवश्यक है।

9. रतनबाई बेवा बिशनसिंह द्वारा प्यारसिंह पिता माधोसिंह के पक्ष में की गई रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22.01.2005 को सिविल न्यायालय पिड़ावा द्वारा दीवानी प्रकरण संख्या 22/2011 में अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.11.2022 द्वारा निरस्त किये जाने और उक्त निर्णय व डिक्री पर अपीलीय न्यायालय-अपर जिलाधीश झालावाड़ कोई स्थगन आदेश नही होने से ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा वसीयतनामा के आधार निर्णित नामान्तरण संख्या 342 दिनांक 06.08.2009 कानूनी रुप से अवैध व प्रभाव शून्य बन गया है, और इसलिए खारिज किये जाने योग्य है। वसीयत ग्रहिता प्यारसिंह पिता माधोसिंह से फौत होने से जरिये फौती नामान्तरण संख्या 581 दिनांक 20.10.2020 से प्यारसिंह के स्थान पर उनके वारिसान- रेस्पोन्डेट क्रम 1 से 7 का नाम दर्ज हो चुका है। यह सुस्थिापित कानूनी सिद्वान्त है कि यदि कोई अन्तरण/नामान्तरण सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित किया जा चुका है, तो उसी आराजी पर तदोपरान्त हुए सभी अन्तरण/नामान्तरण भी प्रारम्भ से अवैध एवं प्रभावशून्य हो जायेगे। अतः प्यारसिंह का फौती नामान्तरण संख्या 581 भी खारिज योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने 1992 आरआरडी 651 में भी पूर्ववर्ती अन्तरण के प्रभावशून्य होने से पश्चात्वर्ती अन्तरण/रजिस्ट्री को शून्य घोषित किया गया है। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील डिक्री 6408/2011/चितौडगढ उनवान भूरीबाई बनाम शम्भूलाल में भी इसी सिद्वात को पुनः दोहराया है।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं सिविल न्यायालय पिड़ावा के निर्णय द्वारा वसीयत दिनांक 22.01.2005 को निरस्त किये जाने के आधार पर ग्राम पडियारखेडी हल्का कोटडी तहसील पिड़ावा की आराजी हाल खाता संख्या 93 किता 7 रकबा 30 बीघा यानि 7.5878 [illegible] यत कोटडी द्वारा निर्णित वसीयत नामा.सं. [illegible] अवैध व प्रभाव शून्य होकर खारिज योग्य होने से [illegible] धारा 75 एल.आर.एक्ट. स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार की जाती है। ग्राम पडियारखेडी हल्का कोटडी तहसील पिड़ावा की आराजी हाल खाता संख्या 93 किता 7 रकबा 30 बीघा यानि 7.5878 हैक्टेयर के संबंध में ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा निर्णित वसीयत नामा.सं. 342 दिनांक 06.08.2009 को अवैध एवं प्रभावशून्य होने से निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पिड़ावा को आदेश दिया जाता है कि वह ग्राम पडियारखेडी की वादग्रस्त आराजी के मृतक मूल खातेदार रतनबाई बेवा बिशनसिंह हिस्सा 1/2 का फौती नामान्तरण विधिक वारिसान की जांच कर दर्ज करे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/5/2025

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:26:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner